

न्यायालय:-न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला जिला बैतूल(म०प्र०)
(पीठासीन अधिकारी-धन कुमार कुडोपा)

दां०प्र०क०-360 / 15

संस्था०दि० 30 / 06 / 2015

फाईलिंग नं. 233504001232015

मध्य प्रदेश शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र,

आमला, थाना आमला, जिला बैतूल (म०प्र०)

-----अभियोजन.

-: विरुद्ध :-

राकेश उर्फ पिट्टू पिता नारायण गोस्वामी, उम्र 35 वर्ष,

जाति-ब्राम्हण, पेशा टेन्ट डेकोरेशन, नि० गोविन्द कालोनी,

आरा मशीन के पास आमला, जिला बैतूल (म०प्र०)

-----अभियुक्त.

-: निर्णय :-

(आज दिनांक-07 / 12 / 2016 को घोषित)

01- अभियुक्त के विरुद्ध भा०दं०वि० की धारा-324 के अंतर्गत अभियोग है कि दिनांक 21 / 06 / 15 को समय शाम 6-6:30 बजे या उसके लगभग आरा मशीन के पास गोविन्द कालोनी आमला, थाना आमला, जिला बैतूल म०प्र० के अंतर्गत फरियादी को हाथ थप्पड़ व धारदार चाकू से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की।

02- दिनांक 07 / 12 / 16 को फरियादी सावन चौहान तथा अभियुक्त राकेश उर्फ पिट्टू के मध्य राजीनामा होने से अभियुक्त को धारा 294 एवं 506 भाग-2 में दोषमुक्त किया गया।

03- अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 21 / 05 / 15 को शाम करीब छै: साढ़े छै: बजे वह घर से गोविन्द कालोनी विकास उईके को टेन्ट का हिसाब करने जा रहा था कि आरा मशीन के पास पिट्टू उर्फ राकेश मिला जिसने मोटर साईकिल से कट मारा तो उसने कहा कि भैया कट क्यों मारा तो इसी बात पर उसे माँ बहन की गंदी गंदी गालियाँ देने लगा, उसने गालियाँ देने से मना किया तो पिट्टू उर्फ राकेश ने गाल पर मार दिये जिससे वह घबरा गया, तभी पीठ पर पता नहीं किसी चीज से मारा जिससे पीठ

पर चोट लगकर खून निकलकर दर्द हो रहा है। पिट्टू उर्फ राकेश ने धमकी दिया कि आज तो बच गया दूबारा मिला तो जान से खतम कर देगा। घटना विकास उईके, कपिल रहड़वे ने देखा व सुना।

04— प्रथम सुचना रिपोर्ट प्र0पी0-2 है। अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क्रमांक 284/15 के अंतर्गत अपराध कायम कर भा0दं0वि0 की धारा 294, 323, 324, 506 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। दिनांक 23/05/15 को घटना का नक्शा मौका प्र0पी0-3 बनाया गया, फरियादी का मेडिकल मुलाहिजा तैयार किया गया। दिनांक 26/05/15 को सम्पत्ति जप्ती पत्रक तैयार किया गया, साक्षियों के कथन उनके बताए अनुसार लेखबद्ध किए गए। अभियुक्त को गिरफ्तार कर, गिरफ्तारी पंचनामा तैयार किया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

05— अभियुक्त के विरुद्ध धारा 313 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण किया गया। अभियुक्त ने अपने अभियुक्त परीक्षण में सामान्य परीक्षा में कहा कि वह निर्दोष है, उसे झूठा फंसाया गया है। अभियुक्त कथन के दौरान बचाव पक्ष ने बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

06— **न्यायालय के समक्ष यह विचारणीय प्रश्न यह है कि:-**

“आपने दिनांक 21/06/15 को समय शाम 6-6:30 बजे या उसके लगभग आरा मशीन के पास गोविन्द कालोनी आमला, थाना आमला, जिला बैतूल म0प्र0 के अंतर्गत फरियादी को हाथ थप्पड़ व धारदार चाकू से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की।

—: निष्कर्ष एवं उसके आधार :-

—: विचारणीय प्रश्न क्रं. 01 का निराकरण

07— अभियोजन साक्षी डॉ0 एन0के0 रोहित (अ.सा.1) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि दिनांक 20/05/15 को सी0एच0सी0 आमला में बी0एम0ओ0 के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को सावन पिता चंद्रकांत, उम्र 19 साल, जाति किराड, नि0 आमला का परीक्षण किया था जिसे थाना आमला के सैनिक जगन्नाथ नं0 321 द्वारा अस्पताल लाया गया। चोट क्रं. 1 पीठ के दाहिनी तरफ 7 गुणित 1 गुणित 1 कटा हुआ घाव पाया गया। चोट क्रं. 2 पीठ के बांये तरफ 2 कटे हुए घाव जिनका आकार 4 गुणित 1 गुणित आधा से0मी0 एवं 3 गुणित 1 गुणित आधा से0मी0 था। आगे इस गवाह ने यह व्यक्त किया है

कि चोटे कड़े धारदार हथियार से पहुँचाई गई थी जो कि फ्रेश थी जो कि प्रकृति एक्सरे के परिणाम पर निर्भर थी उसकी रिपोर्ट प्र0पी0 1 है जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। जबकि इस गवाह की साक्ष्य पुष्टिकारक है जो कि घटना घटित होने के तथ्यों को स्पष्ट करती है। किन्तु यह गवाह फरियादी सावन चौहान के शरीर में पाई गई चोट को फ्रेश होना प्रगट किया है। जबकि घटना दिनांक 21/06/15 की है और डॉ0 एन0के0 रोहित (अ0सा01) के द्वारा परीक्षण दिनांक 20/05/15 को किया गया है जो कि एक दिन पूर्व परीक्षण किया गया है। ऐसी परिस्थिति में यह तथ्य विश्वास किया जाना कि अभियुक्त के द्वारा घटना दिनांक 21/06/15 को अभियुक्त के द्वारा फरियादी सावन चौहान के शरीर पर चोट पहुँचाई गई, का तथ्य विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है।

08— अभियोजन साक्षी सावन (अ.सा.1) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि घटना के समय वह विकाश के घर पेशाब करने जा रहा था तब उसे रास्ते में आरोपी राकेश मिला और मोटर साईकिल की बात को कट मारने की बात को लेकर गंदी-गंदी गालियाँ दिया एवं जान से मारने की धमकी दिया। आरोपी ने उसे चाकू नहीं मारा था। उसने घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना आमला में किया था जो प्र0पी0 2 है जिसके ए से ए भागों पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसका डॉक्टरी मुलाहिजा करवाई थी पुलिस ने मौका नक्शा प्र0पी0 3 तैयार किया जिसके ए से ए भाग उसके हस्ताक्षर हैं। शासन की ओर से पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर इस गवाह ने यह अस्वीकार किया है कि घटना दिनांक को आरोपी को आरोपी ने उसकी पीट पर चाकू मार दिया था। आगे इस गवाह ने यह भी अस्वीकार किया है कि उसने पुलिस को प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी0 2 का बी से बी भाग एवं पुलिस कथन प्र0पी0 4 का ए से ए भाग का बयान लेख कराया था।

09— आगे इस गवाह ने यह स्वीकार किया है कि उसका आरोपी से राजीनामा हो गया है। आगे इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 02 में यह स्वीकार किया है कि उसका राजीनामा हो गया है। यह गवाह स्वयं फरियादी है और उक्त गवाह ने अपनी मुख्य परीक्षा सूचक प्रश्न एवं प्रतिपरीक्षा में यह नहीं बताया है कि अभियुक्त ने फरियादी को हाथ थप्पड़ व धारदार चाकू से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की। इस प्रकार इस गवाह की साक्ष्य से मुख्य परीक्षा, सूचक प्रश्न एवं प्रतिपरीक्षा से भा0दं0वि0 की धारा 324 के तथ्यों का समर्थन नहीं किया है।

10— उर्पयुक्त किए गए साक्ष्य एवं विश्लेषण से यह स्पष्ट नहीं है कि अभियुक्त ने

फरियादी को हाथ थप्पड व धारदार चाकू से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की। इस प्रकार विचारणीय प्रश्न क्रं. 1 का निराकरण "अप्रमाणित" रूप से किया जाता है।

11— उर्पयुक्त अभियोजन पक्ष के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से युक्ति-युक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं है कि अभियुक्त ने फरियादी को हाथ थप्पड व धारदार चाकू से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की। इस प्रकार अभियुक्त राकेश उर्फ पिट्टू को भा०द०वि० की धारा-324 के अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

12— अभियुक्त के धारा-313 द०प्र०स० के पूर्व प्रस्तुत जमानत मुचलका भारमुक्त किया जावे। अभियुक्त का धारा 428 द०प्र०स० का प्रमाण पत्र तैयार किया जावे।

13— प्रकरण में जप्त शुदा चाकू मूल्यहीन होने से नष्ट किया जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय का आदेश मान्य किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित।

(धनकुमार कुड़ोपा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, जिला बैतूल म०प्र०

(धनकुमार कुड़ोपा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, जिला बैतूल म०प्र०